कार्यालय प्राचार्य, पी0एम0श्री शा0पो0के0हाई स्कूल बालाटिकरा छिन्दगढ़
जिला–सुकमा (छ.ग.)

क्रमांक / 3489 / प्राचार्य / स.शि. / पी.एम.श्री / 2023–24 सुकमा, दिनांक 05 / 01 / 2024

/ / विज्ञापन / /

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, छ0ग0 रायपुर के पत्र क्रमांक / 4771 / समग्र शिक्षा / पी.एम.श्री योजना / 2023 रायपुर दिनांक 28.11.2023 एवं पत्र क्रमांक / 5185 / समग्र शिक्षा / पी.एम. श्री योजना / 2023 रायपुर दिनांक 07.12.2023 के अनुसार समग्र शिक्षा (SE) जिला सुकमा के तहत् विकास खण्ड कोण्टा अंतर्गत चयनित पी0एम0श्री शा0पो0के0हाई स्कूल बालाटिकरा छिन्दगढ़ हेतु अंशकालीन खेल शिक्षक / योगा प्रशिक्षक को निश्चित अवधि (3 माह) (31 मार्च 2023) तक कार्य पर रखे जाने के लिए योग्य उम्मीदवारो से आवेदन पत्र दिनांक 12 जनवरी 2024 के शाम 05:30 बजे तक आमंत्रित किया जाता है ।

क्र.	पदनाम	पद की संख्या	अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	योग
1	अंशकालीन खेल शिक्षक / योगा प्रशिक्षक	01	01	0	0	01

आवश्यक योग्यता :–

1. अंशकालीन योगा प्रशिक्षक / खेल शिक्षक पद हेतु –
   - अंशकालीन खेल शिक्षक हेतु न्यूनतम स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री या शारीरिक शिक्षा संबंधी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री वाले शिक्षको / प्रशिक्षको को नियुक्त किया जायेगा ।
   - अंशकालीन योगा प्रशिक्षक हेतु योग से संबंधित प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष योग्यता के साथ पूर्व में योग प्रशिक्षण एवं सिखाने का अनुभव होना चाहिए ।

नियम एवं शर्तेः–

1. उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि तीन माह (31 मार्च 2023) तक के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा । अतः आवेदक जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जिला सुकमा को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नही कर सकेगा ।
2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्वि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन / न्याालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा ।
3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुवंध रद्द माना जावेगाा । जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी ।
4. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्रेषित होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी ।
5. जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा जिला सुकमा डाक में विलंब के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। प्राचार्य द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा ।
6. प्राचार्य पी0एम0श्री शा0पो0के0हाई स्कूल बालाटिकरा छिन्दगढ़,वि0ख0 छिन्दगढ़, जिला सुकमा छ0ग0 को विज्ञापन वापस लेने एवं उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में अंशकालीन खेल शिक्षक / योगा प्रशिक्षक को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा । इस स्थिति में किसी भी प्रकार आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा विवाद होने पर निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला सुकमा के पास सुरक्षित रहेगा ।
7. इस पद हेतु एवं एकमुश्त मानदेय 10000 /– (अक्षरी–दस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह के मान से दिया जावेगा । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

8. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होगा ।
9. आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए ।
10. चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बेसिस पर होगा ।
11. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा ।
12. दोनो विधाओं (खेल शिक्षक एवं योगा प्रशिक्षक) में योग्य अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी ।
13. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति स्वप्रमाणित होनी चाहिए ।
14. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी । ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे ।
15. आवेदक को लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदक का आवेदन निरस्त किया जा सकता है । लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए ।
16. आवेदन पत्र **कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी नया कलेक्टोरेट भवन कुम्हाररास सुकमा कमरा नं. 18 समग्र शिक्षा जिला सुकमा में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से ही स्वीकार होगी ।**
17. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंकसूची देना अनिवार्य होगा ।
18. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।
19. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । इस हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी से जारी निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । सुकमा जिला के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी ।
20. आवेदन के साथ दो लिफाफा जिसमें 10–10 रूपये का टिकट सहित वर्तमान पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए ।
21. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यार्थियों की सूची दावा आपत्ति हेतु जिला परियोजना कार्यालय के सूचना पटल व जिले के www.sukma.gov.in पर उपलब्ध रहेगा ।
22. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2024 को शाम 05:30 बजे तक उपरोक्त पते पर जमा करना होगा । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया यजाएगा ।

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी SS.SE
जिला सुकमा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

आवेदन प्रत्र

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा,
जिला सुकमा (छ.ग.)

स्वप्रमाणित
नवीनतम पासपोर्ट
फोटो चिपकायें

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ....
   आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में) (केपिटल लेटर में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. अ. जन्मतिथि (अंकों में) :– ....
   ब. जन्मतिथि (शब्दों में) :– ....
   स. दिनांक 31.12..2023 को आयु :– वर्ष.................माह.................दिन.................
   द. आयू सीमा में छूट चाहते हैं :– (हां/नहीं लिखें)....................
   ई. आयु सीमा में छूट का आधार :– ....
5. लिंग (पुरूष/महिला) :– ....
6. शैक्षणिक योग्यता :– ....

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हाई स्कूल परीक्षा						
2	हायर सेकेण्डरी परीक्षा						
3	स्नातकोत्तर परीक्षा						
4	स्नातक परीक्षा						
5	विशेष शिक्षा मे बी.एड.						
6	सामान्य शिक्षा मे बी.एड.						
7	विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा						
8	अन्य						

7. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता :– ....
   दूरभाष नंबर एवं पिनकोड सहित :– ....
   :– ....
8. स्थायी पता :– ....
   :– ....
   :– ....

9. क्या आवेदक शासन द्वारा मान्य अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.वर्ग के सदस्य हैं? यदि है तो जांति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायप्रति संलग्न करें। :– (हां/नहीं लिखें) ....
10. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी हैं? यदि हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायप्रति संलग्न करें। :– (हां/नहीं लिखें)....................................
11. क्या आवेदक विकलांग हैं। यदि हां तो विकालांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का जीवित सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। :– (हां/नहीं लिखें)....................................
12. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :– ....
13. संलग्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित सूची जो संलग्न है :–

अ.	....	ब.	....
स.	....	द.	....
इ.	....	फ.	....
ग.	....	ह.	....

दिनांक :– ....
स्थान :– ....

आवेदक के हस्ताक्षर नाम सहित

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं सलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य है यदि उपरोक्त तथ्य असत्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति/उम्मीदवारी निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :– ....
स्थान :– ....

आवेदक के हस्ताक्षर नाम सहित